शोध दिशा

ISSN 0975-735X

विश्वस्तरीय शोध-पत्रिका

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से अनुदान प्राप्त

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शोध पत्रिका

शोध अंक 62/D अप्रैल-जून 2023 400.00 रुपए

संपादकीय कार्यालय

हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार,
बिजनौर 246701 (उ॰प्र॰)
फोन : 0124-4076565, 09557746346
ई-मेल : shodhdisha@gmail.com
वैब साइट : www.hindisahityaniketan.com

क्षेत्रीय कार्यालय

हरियाणा
डॉ॰ मीना अग्रवाल
ए-402, पार्क व्यू सिटी-2 सोहना रोड,
गुड़गाँव (हरियाणा)

दिल्ली एन॰सी॰आर॰
डॉ॰ अनुभूति
सी-106, शिवकला अपार्टमेंट्स
बी 9/11, सेक्टर 62, नोएडा
फोन : 09958070700

(सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।)

संपादक
डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल
07838090732

प्रबंध संपादक
डॉ॰ मीना अग्रवाल

संयुक्त संपादक
डॉ॰ शंकर क्षेम
डॉ॰ प्रमोद सागर

उपसंपादक
डॉ॰ अशोककुमार
09557746346
डॉ॰ कनुप्रिया प्रचण्डिया

कला संपादक
गीतिका गोयल/ डॉ॰ अनुभूति

विधि परामर्शदाता
अनिलकुमार जैन, एडवोकेट

आर्थिक परामर्शदाता
ज्योतिकुमार अग्रवाल, सी॰ए॰

शुल्क

आजीवन (दस वर्ष): छह हजार रुपए
वार्षिक शुल्क : एक हजार रुपए
यह प्रति : चार सौ रुपए

प्रकाशित सामग्री से संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल बिजनौर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुल्क की राशि 'शोध दिशा' बिजनौर के नाम भेजें। (सन् 1989 से प्रकाशन-क्षेत्र में सक्रिय)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल द्वारा श्री लक्ष्मी ऑफसैट प्रिंटर्स, बिजनौर 246701 से मुद्रित एवं 16 साहित्य विहार, बिजनौर (उ॰प्र॰) से प्रकाशित। पंजीयन संख्या : UP HIN 2008/25034

संपादक : डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल

कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के वैवाहिक समायोजन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन

डॉ॰ सीता (सहायक प्राध्यापक)
मनोविज्ञान विभाग, समाज विज्ञान विद्याशाखा
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
डॉ॰ भावना डोभाल (सहायक प्राध्यापक)
समाजशास्त्र विभाग, समाज विज्ञान विद्याशाखा
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

विवाह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो पुरुषों और महिलाओं को पारिवारिक जीवन जीने की अनुमति देती है। यह प्रजनन (संतान के जन्म) से अधिक कार्य से परे नर और मादा के बीच कमोबेश टिकाऊ स्थिति है। विवाह के द्वारा वे बुनियादी पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं। विवाह के गुणों में यौन जीवन का विनियमन, यौन-संबंध, परिवार की स्थापना की ओर ले जाना, आर्थिक निगम प्रदान करना, साथी की भावनात्मक और बौद्धिक अंतर-उत्तेजना में योगदान देना और सामाजिक एकजुटता का लक्ष्य शामिल है। विवाह संस्था का अलग-अलग संस्कृति में अलग-अलग प्रभाव हो सकता है। इसका उद्देश्य, कार्य और रूप अलग-अलग समाज में अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन यह एक संस्था के रूप में हर जगह मौजूद है। विवाह को पुरुष और महिला के बीच अधिक या कम टिकाऊ संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो केवल प्रजनन के कार्य से परे संतान के जन्म के बाद तक चलता है।

वैवाहिक संतुष्टि खुशी की एक व्यक्तिपरक भावना है और विवाह के सभी मौजूदा पहलुओं पर विचार करते समय पति या पत्नी द्वारा अनुभव किया गया आनंद है। विभिन्न संस्कृतियों में विवाह को विभिन्न दृष्टिकोणों से स्वीकार किया गया है। इसलिए इससे संबंधित पाश्चात्य देशों में किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष को भारतीय संस्कृति के विवाह-संबंधी अध्ययन में लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारतीय संस्कृति में विवाह का अर्थ और स्वरूप भिन्न प्रकार का है। भारतीय संस्कृति में विवाह को जन्म के साथ निर्धारित मानते हैं और इस जीवनपर्यंत का गठन मानते हैं तथा विवाह को कोई समझौता या अल्पकालिक संबंध नहीं मानते हैं हिंदू दर्शन के अनुसार विवाह एक संस्कार है और इसलिए यह पवित्र और धार्मिक बंधन है।

भारतीय शादियाँ पूरी तरह से परंपरा, रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के बारे में हैं। दुनियाभर की शादियों की तुलना में, भारतीय शादियाँ विस्तृत रूप से आयोजित होती हैं। भारत में, शादियाँ न केवल दूल्हा और दुल्हन के बारे में होती हैं, बल्कि उनके परिवारों के मिलन के बारे में भी होती हैं। वास्तव में, परंपरागत रूप से, भारत में विवाह परिवार के सदस्यों द्वारा तय किए जाते हैं। हालाँकि, समय के साथ, व्यक्तियों के विवाह करने के तरीके में काफी बदलाव आया है। भारतीय विवाहों के प्रकारों में अरेंज्ड मैरिज, लव मैरिज, अरेंज्ड-लव मैरिज, लव-अरेंज्ड मैरिज, अंतरजातीय

विवाह, कोर्ट मैरिज शामिल हैं। व्यवस्थित विवाह भारतीय विवाहों के सबसे पुराने और पारंपरिक प्रकारों में से एक है। इस प्रकार से, आमतौर पर परिवार विवाह की व्यवस्था करते हैं।

व्यवस्थित विवाह के विपरीत, प्रेम विवाह वह होता है जहाँ जोड़ा पहले प्यार में पड़ता है और फिर शादी का चुनाव करता है।

मोनोगैमी, बहुविवाह और बहुपतित्व दुनियाभर में उपयोग किए जाने वाले कुछ विवाह अनुबंध हैं। किसी समाज में पारंपरिक रूप से भौगोलिक स्थिति, समाज की धार्मिक संरचना, पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धता और समाज की आर्थिक स्थिति के आधार पर विवाह की अनुमति दी जाती है।

विवाह के प्रति दृष्टिकोण में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगा है विवाह का धार्मिक पक्ष धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और अधिक अधिक संख्या में लोग उसे धार्मिक संस्कारों के बजाय सामाजिक अनुबंध के रूप में स्वीकार करते जा रहे हैं। आज अधिकांश स्त्रियाँ मानने लगी हैं कि सुख संतोष के लिए उन्हें किसी दूसरी चीजों की भी आवश्यकता होती है। आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, पाश्चात्यातीकरण और शिक्षा पर बल, नारी की उत्थान के लिए समानता के नारे इत्यादि ने स्त्रियों को प्रभावित किया है। इसके साथ ही और भी अनेक कारण हैं जिनका विवाहित दंपति पर प्रभाव पड़ा है तथा विवाह को मात्र जन्म-जन्मांतर का मिलन ना मानकर केवल एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मान रहे हैं। जिसको कभी भी प्रारंभिक किया जा सकता है तथा कभी भी तोड़ा जा सकता है। यौन सद्भाव और आपसी आनंद सबसे महत्त्वपूर्ण कारकों में से है जो वैवाहिक समायोजन को सफलता तक पहुँचाते हैं। गोल, एस॰ एवं नारंग, डी॰के॰ (2012) के अनुसार विवाह सुख, खुशी, शांति, संतुष्टि, दूसरों के साथ मेल-जोल, सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना और व्यक्तित्व को निखारना है। विवाह-संबंध नाजुक, सदैव परिवर्तनशील और मिश्रित होता है।

साहित्य की समीक्षा

समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आंतरिक मनोवैज्ञानिक आवेगों और पर्यावरण की ताकतों और माँगों के बीच संतुलन प्रभावित होता है। इस प्रकार, अक्सर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया हो सकती है, जो व्यक्तियों के संतोषजनक और पूर्ण जीवन को बनाती है। यह उन्हें संतुष्ट करने के लिए जरूरतों और कौशल के बीच एक संतुलन कार्य के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार, कोई कह सकता है कि समायोजन व्यक्ति को जीवन में भविष्य की माँगों के लिए सशक्त बनाने, मजबूत करने और सक्षम करने का एक तरीका हो सकता है। (जोस जे॰, 2010)

लेहरर (2006) ने विवाह की आयु और वैवाहिक अस्थिरता पर एक अध्ययन किया। परिकल्पना में कहा गया कि कम उम्र में शादी के असफल होने और टूटने का खतरा अधिक होता है। अब तक यह सुझाव दिया गया है कि परिपक्व उम्र प्राप्त करने के बाद, विवाह की उम्र और वैवाहिक अस्थिरता के बीच संबंध सकारात्मक हो सकता है, इसका कारण यह है कि जैसे-जैसे अविवाहित महिलाएँ मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होती हैं, वे अपने साथी को यथार्थवादी और बेहतर तरीके से चुन सकती हैं। परिणाम ने संकेत दिया कि विवाह की उम्र और वैवाहिक अस्थिरता के बीच का संबंध बीस के दशक के अंत तक दृढ़ता से नकारात्मक था, और इस उम्र के बाद वक्र कम हो जाता है।

नाथावत और माथुर, (2003) ने अपने अध्ययन के परिणाम में यह बताया कि वैवाहिक

 ISSN 0975-735X

समायोजन के संबंध में कामकाजी महिलाओं ने गृहिणियों की तुलना में वैवाहिक समायोजन और विशेष कल्याण को सार्थक रूप से बेहतर ढंग से व्यक्त किया है।

साहू और सिंह (2014) ने कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं के भावनात्मक परिपक्वता स्तर और आत्मसम्मान स्तर के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर पाया। हालाँकि, दानी, एस॰, और सिंघई, एम॰ (2018) ने गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं की भावनात्मक बुद्धिमत्ता की तुलना की कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संबंध में कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं के बीच कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है। हालाँकि, कामकाजी महिलाएँ गैर-कामकाजी महिलाओं की तुलना में अधिक संतुष्ट हैं।

शर्मा, आर॰ए॰ (2019) ने पाया कि कामकाजी महिलाएँ गैर-कामकाजी महिलाओं की तुलना में अधिक प्राकृतिक, स्वतंत्र और स्वस्थ थीं, जबकि गैर-कामकाजी महिलाएँ कामकाजी महिलाओं की तुलना में अधिक जुनूनी, निर्भर होती हैं।

जूही कुमारी एवं विजयालक्ष्मी (2021) ने अपने अध्ययनों में विवाहित कामकाजी महिलाएँ एवं विवाहित गैर-कामकाजी महिलाओं में समायोजन के स्तर में महत्त्वपूर्ण अंतर पाया।

शोध के उद्देश्य

* महिलाओं के वैवाहिक समायोजन का अध्ययन करना।

* कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं में वैवाहिक समायोजन के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना।

* कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के वैवाहिक समायोजन के बीच अंतर ज्ञात करना।

* वैवाहिक समायोजन के विभिन्न आयामों में कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के मध्य अंतर ज्ञात करना।

उपकल्पना : प्रस्तुत शोध का उद्देश्य निम्नलिखित शोध-परिकल्पनाओं की जाँच करना था।

* कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के वैवाहिक समायोजन के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

* वैवाहिक समायोजन के विभिन्न आयामों में कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

अध्ययन का परिसीमन

* प्रस्तुत अध्ययन सिर्फ देहरादून जिले की महिलाओं पर किया गया पर किया गया है।

* प्रस्तुत अध्ययन में 25 से 40 आयु वर्ग की महिलाओं को ही सम्मिलित किया गया।

* समान आय वर्ग (50,000 से 70,000) की कामकाजी महिलाओं को ही अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

शोध कार्यविधि

प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन : प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के रायपुर विकासखंड की विवाहित 25 से 40 वर्ष की 32 कामकाजी तथा 32 गैर कामकाजी महिलाओं को प्रतिदर्श के रूप में शामिल किया गया। प्रतिदर्श का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि द्वारा किया गया। जिसमें भारतीय परिवहन निगम एवं भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत महिलाओं को कामकाजी

महिलाओं के रूप में अध्ययन में शामिल किया गया। गैर कामकाजी महिलाओं में गृहणी वर्ग को शामिल किया गया। 50,000 से 70,000 आय वर्ग की महिलाओं को ही अध्ययन में शामिल किया गया।

सांख्यिकीय प्रविधियाँ: प्रस्तुत शोध में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-टेस्ट का उपयोग किया गया।

शोध हेतु प्रयुक्त उपकरण

व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र: प्रयोज्यों की व्यक्तिगत सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र का निर्माण किया जिसमें प्रयोज्य के यौन, आयु, धर्म, विद्यालय, शैक्षिक स्तर, मासिक आय, परिवार की स्थिति आदि से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ थीं।

वैवाहिक समायोजन मापनी (MaritalAdjustment Scale): प्रस्तुत शोध में डॉ॰ गायत्री तिवारी, जसवंत डोरा तथा स्नेहा जैन द्वारा विकसित मैरिटल एडजेस्टमेंट मापनी का प्रयोग किया गया है। इस मापनी में 5 वैकल्पिक उत्तरों वाले 90 पद हैं जिसमें 3 आयाम हैं- शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक व संवेगात्मक। यह पाँच बिंदु मापनी है जिसमें अत्यधिक सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, अत्यधिक असहमत कथनों में सकारात्मक कथनों के लिए क्रमश 5,4,3,2,1 प्राप्तांक प्रदान दिए जाते हैं तथा नकारात्मक कथनों के लिए क्रमश 1,2,3,4,5, प्राप्तांक प्रदान किए जाते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में उच्च स्कोर समायोजन के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। मापनी की विषयगत तकनीकी वैधता रेटिंग 7.2 तथा विश्वसनीयता गुणांक .78 है।

परिणाम एवं विश्लेषण : शोध के परिणामों से स्पष्ट है कि दोनों समूहों में वैवाहिक समायोजन के विभिन्न आयामों में महत्त्वपूर्ण सार्थक अंतर है।

उपकल्पना-1 प्रस्तुत अध्ययन में पहली उपकल्पना यह निर्मित की गई थी कि कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के वैवाहिक समायोजन के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। उपकल्पना की जाँच करने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए–

तालिका-1

	कामकाजी महिलाएँ		**गैर कामकाजी महिलाएँ**		**t. का मान**	**स्वतंत्रता के अंश (df)**	**सार्थकता का स्तर**
	मध्यमान	**मानक विचलन**	**मध्यमान**	**मानक विचलन**			
वैवाहिक समायोजन मापनी	301.19	12.608	279.468	9.168	7.881	62	0.05

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वैवाहिक समायोजन मापनी पर कामकाजी महिलाओं का मध्यमान 301.19 जो कि गैर कामकाजी महिलाओं का मध्यमान (279.468) से अधिक है। प्राप्त t का मान (7.881) 0.05 सार्थकता का स्तर पर t के मान से बहुत अधिक है। अर्थात् दोनों समूहों के मध्य वैवाहिक समायोजन पर सार्थक अंतर है। अर्थात् उपकल्पना एक निरर्थक सिद्ध हुई। विजयलक्ष्मी और कर्नाटक यू (2000) के अध्ययन उपर्युक्त परिणाम का समर्थन करते हैं। उन्होंने कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों के वैवाहिक समायोजन की जाँच की, उनके वैवाहिक समायोजन में कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों के बीच अंतर के महत्त्व की सूचना दी। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिलाओं में गृहिणियों की तुलना में काफी अधिक वैवाहिक समायोजन

 ISSN 0975-735X

होता है। डेव (2015) के एक अध्ययन में देखे गए इसी तरह के निष्कर्षों से पता चला है कि कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं के बीच वैवाहिक समायोजन में महत्त्वपूर्ण अंतर है।

प्रस्तुत अध्ययन में दूसरी उपकल्पना यह निर्मित की गई थी कि वैवाहिक समायोजन के विभिन्न आयामों में कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। उपकल्पना की जाँच करने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए–

तालिका-2

वैवाहिक समायोजन के विविध आयाम	**कामकाजी महिलाएँ**		**गैर कामकाजी महिलाएँ**		**t. का मान**	**स्वतंत्रता के अंश (df)**	**सार्थकता का स्तर**
	मध्यमान	**मानक विचलन**	**मध्यमान**	**मानक विचलन**			
शारीरिक	69.093	4.296	65.312	7.527	3.120	62	0.05
आर्थिक एवं सामाजिक	105.95	2.529	99.593	5.395	17.386		
मनोवैज्ञानिक व संवेगात्मक	122.656	9.508	114.562	6.436	3.987		

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वैवाहिक समायोजन मापनी के शारीरिक आयाम में कामकाजी महिलाओं का मध्यमान 69.093, प्रामाणिक विचलन 4.296 हैं। वहीं गैर कामकाजी महिलाओं का मध्यमान 65.312, प्रामाणिक विचलन 7.527 है। प्राप्त टी का मान 3.120 है जो 0. 05 सार्थकता स्तर पर टी के मान से बहुत अधिक है। अर्थात् दोनों समूहों के मध्य वैवाहिक समायोजन के शारीरिक आयाम पर सार्थक अंतर है।

वैवाहिक समायोजन मापनी के आर्थिक एवं सामाजिक आयाम में कामकाजी महिलाओं का मध्यमान 105.95, प्रामाणिक विचलन 2.529 हैं वहीं गैर कामकाजी महिलाओं का मध्यमान मध्यमान 99.593 ,प्रामाणिक विचलन 5.395 है। प्राप्त टी का मान 17.386 है जो 0.05 सार्थकता स्तर पर टी के मान से बहुत अधिक है। अर्थात दोनों समूहों के मध्य वैवाहिक समायोजन के आर्थिक एवं सामाजिक आयाम पर महत्त्वपूर्ण सार्थक अंतर है।

वैवाहिक समायोजन मापनी के मनोवैज्ञानिक व संवेगात्मक आयाम में कामकाजी महिलाओं का मध्यमान 122.656, प्रामाणिक विचलन 9.508 है वहीं गैर कामकाजी महिलाओं का मध्यमान मध्यमान 114.562,प्रामाणिक विचलन 6.436 है। प्राप्त टी का मान 3.987 है जो 0.05 सार्थकता स्तर पर टी के मान से अधिक है। अर्थात दोनों समूहों के मध्य वैवाहिक समायोजन के आर्थिक एवं सामाजिक आयाम पर महत्त्वपूर्ण सार्थक अंतर है।

उपर्युक्त परिणाम दर्शाते हैं कि वैवाहिक समायोजन के विभिन्न आयामों में कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं के मध्य सार्थक एवं महत्त्वपूर्ण अंतर है। अत: उपकल्पना दो निरर्थक सिद्ध हुई। साहू और सिंह (2014), शर्मा, आर॰ए॰ (2019) के अध्ययन उपर्युक्त परिणामों की पुष्टि करते हैं। नीरज, डी॰, संधू, डी॰, और वर्मा, के॰ (2021) द्वारा किए गए अध्ययन में बताए गए इसी तरह के निष्कर्षों से पता चला है कि कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं की मनोसामाजिक समायोजन, आत्म-अवधारणा और शैक्षणिक उपलब्धि में महत्त्वपूर्ण अंतर है।

निष्कर्ष : वर्तमान अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि कामकाजी महिलाओं के बीच

वैवाहिक समायोजन और समग्र समायोजन पर नियोक्तायता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्ययन में दावा किया गया है कि रोजगार में विवाहित कामकाजी महिला के समायोजन को प्रभावित करने की जबरदस्त क्षमता है। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम और अवलोकन कामकाजी और गैर-कामकाजी विवाहित महिलाओं में समायोजन की समझ विकसित करने में मदद करेंगे।

संदर्भ

1· Dave,A.V. (2015). MaritalAdjustment in workingAnd non-working women. Indian journal of research. Vol. 4; issue 5.

2· Jose, J. (2010). Types ofAdjustment in psychology.

3· Juhi Kumari1, Dr Vijaya Laxmi (2021) International Journal of HumanitiesAnd Social Science Invention (IJHSSI) ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org ,Volume 10 Issue 11 Ser. I , November, 2021, PP. 30-33

4· Lehrer, J.A., Shrier, L.A., Gortmaker, S., & Buka, S. (2006).Depressive symptoms as Alongitudinal predictor of sexual risk behaviors among US middle and high school students. Pediatrics, 118(1), 189-200.

5· Neeraj, D., Sandhu, D., & Varma, K. (2021). Relationship of psycho socialAdjustment with self-conceptAndAcademicAchievementAmongstAdolescents of workingAnd nonworking women. Elementary Education Online, 20(1), 2720-2724.

6· Rotz, D. (2016). Why have divorce rates fallen: The role of women'sAgeAt marriage.Journal of Human Resources,51(4), 961-1002

7· Sahu, K., & Singh, D. (2014). Mental healthAnd maritalAdjustment of workingAnd non-working married women. International Journal ofAdvancement in EducationAnd Social Sciences, 2(2), 24-28.

8· Sharma, R.A (2019). Study of AdjustmentAt HomeAmong Working WomenAnd Housewives.An International Journal of Management.Vol 8 / No 2 / 13-16

seeta@uou.ac.inbdobhal@uou.ac.in